Scanned by CamScanner

प्राप्त कर दावा फाईनल डिक्री फरमाया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत, मदाखलत नही करे। उक्त आराजी को रहन व्यय नहीं करे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए इस कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री संदीप तिवाडी Adv. एंव प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा Adv. उपस्थित हुए। जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये कि वादी के हिस्से के साथ साथ प्रतिवादी नं. 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी नं. 3 का हिस्सा 1/8 एंव प्रतिवादी नं. 4 का हिस्सा 1/8 का भी मौके काश्त के अनुसार बँटवारा स्कीम प्राप्त कर आराजीयात का तकासमा किया जावे। इकबालिया जबाब प्राप्त होने से तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वकील उभय पक्ष ने बहस करते हुए कथन किया कि वादी का विवादित आराजी मे 1/4 हिस्सा है। तकासमा करदिया जावे। वकील प्रतिवादियों ने भी कथन किया कि विवादित आराजी में हिस्सानुसार कब्जानुसार बँटवारा स्कीम तलब फरमाकर बँटवारा किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत 2068-2071 के खाता संख्या 35। के अनुसार टोडाभीम विस्वा 9 मे खसरा नम्बर 7449 रकबा 1.19 है० में वादी हिस्सा 1/4 का, प्रतिवादी नं. 1 हिस्सा 1/4 का, प्रतिवादी नं. 2 हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी नं. 3 हिस्सा 1/8 का, प्रतिवादी नं. 4 हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार है। तथा इन्होंने बाहमी बँटवारा अनुसार तकासमा करना चाहा है। इसप्रकार यह दावा मय काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। ख.नं. 7449 रकबा 1.19 है० टोडाभीम 9 विस्वामें वादी किशनलाल को हिस्सा 1/4 का, प्रतिवादी नं. 1 रामभरोसी को हिस्सा 1/4 का, प्रतिवादी नं. 2 प्रहलाद को हिस्सा 1/4 का

जगदीश आर्य

(लगातार)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी नं. 3 अशोक को हिस्सा 1/8 का, प्रतिवादी नं. 4 दिनेश को हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 7449 रकबा 1.19 है० ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादीगण 1ता.4 के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एवं जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार बँटवारा स्कीम तैयार करने के लिए तहसीलदार टोडाभीम को Rs. 250/- पर बँटवारा कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में प्राप्त की जावे। प्राथमिक पर्ची डिक्री जारी करें। बँटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त करने तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर जारी हो।

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

निर्णय आज दिनांक 20.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner